एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी–परिपत्र संख्या-20/2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस भवन, गोमतीनगर विस्तार
लखनऊ–226002

दिनांकः जून 11, 2021

विषयः– वर्तमान में प्रचलित साइबर अपराध के विषय में पुलिस पेन्शनधारकों एवं कार्यरत पुलिस कर्मियों को जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

वर्तमान समय में प्रायः यह देखा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों को प्रचलित साइबर अपराधों के बारें में जानकारी न होने के कारण साइबर अपराधियों द्वारा उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया जा रहा है। इस प्रक्रिया में साइबर अपराधियों द्वारा प्रमुखतया पेन्शन धारकों व निकट भविष्य में रिटायर होने वाले पुलिस कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है। साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से पहले पुलिस कर्मियों का डाटा एकत्र किया जाता है तत्पश्चात् उनकों ट्रेजरी अफसर या बैंक कर्मी बनकर फोन करके उनका पीएनओ नम्बर, नाम, जन्म तिथि, भर्ती की तिथि, रिटायरमेंट की तिथि, बैंक खाता आदि बताकर उनकों झांसे में लेकर उनसे उनके बैंक खातो की गोपनीय जानकारियॉ प्राप्त कर ली जाती है। इसके अतिरिक्त फोन के माध्यम से बरगलाकर क्वीक सपोर्ट/एनीडेस्क जैसे रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर भी खातों से सम्बन्धित गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। खातों से सम्बन्धित प्राप्त की गयी उपरोक्त गोपनीय जानकारी के माध्यम से साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस कर्मियों का मेहनत से कमाया गया पैसा व उनकी जमा पूँजी उनके खातों से बेईमानी करके निकाल ली जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप लोग अपने–अपने जनपदों में पेंशनभोगी, कार्यरत पुलिस कर्मियों की मीटिंग/सम्मेलन कर एवं अन्य माध्यमों से निम्नलिखित बिन्दुओं से उनको अवगत कराते हुए जागरूक करने का कष्ट करें।

- किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड डिटेल एवं यूजर आईडी पासवर्ड शेयर न करें, चाहें वह बैंक कर्मी हो या ट्रेजरी आफिसर या अन्य कोई।
- कोई व्यक्ति यदि बातों–बातों में आपसे कोई रिमोट एक्सेस एप जैसे–क्वीक सपोर्ट, एनीडेस्क आदि डाउलोड करने को कहे तो कदापि डाउनलोड न करें।
- विभिन्न माध्यमो जैसे–एसएमएस, ई–मेल, व्हाट्सएप मैसेज आदि पर प्रसारित/प्राप्त हो रहे लिंक को न खोलें।
- किसी भी कम्पनी का कस्टमर केयर नम्बर गूगल पर सर्च करके प्रयोग में न लायें। नम्बर प्राप्त करने हेतु उस कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये डाक्यूमेंट को देखे अथवा केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध नम्बर का प्रयोग करें।

- एटीएम से पैसे निकालते समय ध्यान रखें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका एटीएम कार्ड बदल न पायें एवं पैसा निकालने से पूर्व उस मशीन में स्कीमर एवं कैमरा आदि की जॉच कर लें।
- अपने मोबाइल को किसी अनजान व्यक्ति को कदापि न दें कभी–कभी गलत व्यक्तियों के हाथ में मोबाइल जाने से उसके द्वारा पोर्ट का मैसेज भेजकर पोर्ट आउट नम्बर प्राप्त कर लिया जाता है और आपके नम्बर की दूसरी सिम प्राप्त कर अवैध ट्रान्जेक्शन कर लिये जाते है।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में रिटायर्ड/कार्यरत पुलिस कर्मियों से सम्बन्धित साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी। आप लोग अपने–अपने जनपदों में पेंशनभोगी, कार्यरत पुलिस कर्मियों की मीटिंग/सम्मेलन कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस आयुक्त लखनऊ नगर/गौतमबुद्धनगर/कानपुरनगर/वाराणसी
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक,
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर काइम, उ0प्र0।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, ए0टी0एस0, उ0प्र0।
9. समस्त इकाई विभागाध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस।